संख्या-15/2016-676 ई-2/तेरह-2016-54/2014

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 18 मार्च,2016

विषय:-प्रदेश में शीरे से अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल एवं पेय मदिरा) का उत्पादन करने वाली आसवनियों को गैर शीरा पदार्थ (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटेरियल) से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन तथा गैर शीरा पदार्थ से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन के लिये नई आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-55/दो-प्रा0डी0-8, दिनांक 13 जुलाई,2015, पत्र संख्या-जी-75/दो-प्रा0डी0-8, दिनांक 26 अगस्त,2015, पत्र संख्या-जी-116/दो-प्रा0डी0-126, दिनांक 14 अक्टूबर,2015, पत्र संख्या-जी-236/दो-प्रा0डी0-153, दिनांक 31 दिसम्बर,2015 तथा शासनादेश संख्या-1377 ई-2/तेरह-2006-374/98, दिनांक 28 जून,2006 तथा शासनादेश संख्या-1821 ई-2/तेरह-2010-72/2006, दिनांक 30 जुलाई,2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में शीरे से अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल एवं पेय मदिरा) का उत्पादन करने वाली आसवनियों को गैर शीरा पदार्थ (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटेरियल) से पेय मदिरा बनाने हेतु अल्कोहल उत्पादन तथा गैर शीरा पदार्थ से पेय मदिरा बनाने हेतु अल्कोहल उत्पादन के लिये नई आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(1) शीरे से औद्योगिक एवं पेय मदिरा हेतु अल्कोहल का उत्पादन करने वाली पूर्व स्थापित आसवनियों को गैर शीरा (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य) पदार्थ/रा-मैटेरियल से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन की अनुमति उसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिष्ठापित क्षमता में अथवा अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि कर सक्षम स्तर से निर्णयोपरान्त प्रदान की जायेगी।

(2) शीरे से केवल औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करने वाली आसवनियों को गैर शीरा (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य) पदार्थ/रा-मैटेरियल से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन की अनुमति उसी अधिष्ठापित क्षमता में अथवा अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि कर सक्षम स्तर से निर्णयोपरान्त प्रदान की जायेगी।

(3) प्रदेश में गैर शीरा (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य) पदार्थ/रा-मैटेरियल से पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन हेतु नई आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(4) गैर शीरा (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य) पदार्थ/रा-मैटेरियल से केवल पेय मदिरा हेतु अल्कोहल उत्पादन की अनुमति दी जायेगी। इन पदार्थों से औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन अनुमन्य नहीं होगा।

(5) पेय मदिरा हेतु अल्कोहल के उत्पादन में यथासम्भव ऐसे गैर शीरा पदार्थों विशेष कर अनाज/आलू आदि का उपयोग उसी सीमा तक किया जायेगा, जिस सीमा तक यह पदार्थ सरप्लस उपलब्ध हों तथा निम्न श्रेणी के हों और मानव उपभोग के लिये उपयुक्त न हों।

3- उक्त प्रस्तर-2(1), 2(2) एवं 2(3) के अनुसार प्रदेश में पेय मदिरा/बीयर के उत्पादन हेतु नई आसवनियों/यवासवनियों (ब्रिवरीज) की स्थापना एवं पूर्व स्थापित आसवनियों/यवासवनियों की अधिष्ठापित क्षमता में विस्तार हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(क) शीरे से अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल एवं पेय मदिरा) का उत्पादन करने वाली आसवनियों को गैर शीरा पदार्थ (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटेरियल) से पेय मदिरा बनाने हेतु अल्कोहल उत्पादन तथा गैर शीरा पदार्थ से पेय मदिरा बनाने हेतु अल्कोहल उत्पादन के लिये नई आसवनी स्थापना की अनुमति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्यक् परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(ख) आबकारी आयुक्त के स्तर से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों पर शासन स्तर पर विचार किये जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति का स्वरूप निम्नवत् है:-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त -- अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग -- सदस्य
(3) प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग -- सदस्य/संयोजक
(4) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग -- सदस्य
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग -- सदस्य
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग -- सदस्य
(7) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश -- सदस्य

(ग) उक्त समिति द्वारा इकाई की आवश्यकतानुसार उसकी अधिष्ठापित क्षमता के निर्धारण, गैर शीरा पदार्थों (यथा अनाज/आलू इत्यादि) की उपलब्धता, निर्धारित अनुज्ञापन प्रक्रिया आदि अन्य समस्त आवश्यक बिन्दुओं पर विचार करके अपनी संस्तुति उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर विभागीय मंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(घ) नयी आसवनी/यवासवनी की स्थापना/पूर्व स्थापित आसविनयों/यवासवनियों की क्षमता वृद्धि की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. नयी आसवनी/यवासवनी की स्थापना हेतु दी गई अनुमति तत्सम्बन्धी मा0 उच्चतम् न्यायालय के संविधान पीठ के समक्ष लम्बित वाद के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
2. नई आसवनी/यवासवनी की स्थापना हेतु आई0डी0आर0 एक्ट,1951 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित यथावश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3. इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व पर्यावरण, वन एवं प्रदूषण नियंत्रण सहित विभिन्न अन्य नियमों/अधिनियमों व स्थानीय विधि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ-साथ समस्त सुसंगत अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक पर कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(च) शासन स्तर से अनुमति प्राप्त होने पर विहित प्रक्रियानुसार निर्धारित शर्तों/औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सुसंगत नियमों/अधिनियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत इकाई को आसवनी/यवासवनी स्थापना हेतु अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रदेश में शीरे से अल्कोहल उत्पादन करने वाली आसवनियों को उनकी पेय क्षमता के अधीन शीरे से इतर अन्य रा-मैटेरियल से उनके वर्तमान अनुज्ञापन के अन्तर्गत स्प्रिट उत्पादन को प्रतिबंधित करने विषयक शासनादेश संख्या-1377 ई-2/तेरह-2006-374/98, दिनांक 28 जून,2006 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।